न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 204/2018 प्रार्थना पत्र

1. भगवतीलाल पिता प्यारा खटीक, आयु वयस्क, निवासी कपासन।
2. कंचन देवी पत्नी भगवतीलाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी कपासन।

— प्रार्थीगण

//बनाम//

1. किरणदेवी पत्नी रामचन्द्र भांबी, उम्र वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. राधेश्याम पिता गिरधारीलाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. उदयलाल पिता जगन्नाथ चमार, आयु वयस्क, निवासी अम्बानगर निम्बाहेड़ा।
4. छगनलाल पिता जगन्नाथ चमार, आयु वयस्क, निवासी अम्बानगर निम्बाहेड़ा।
5. रोशनलाल पिता जगन्नाथ चमार, आयु वयस्क, निवासी अम्बानगर निम्बाहेड़ा।
6. समदी बाई पुत्री जगन्नाथ चमार, आयु वयस्क, निवासी अम्बानगर निम्बाहेड़ा।
7. मोहनी बाई पुत्री जगन्नाथ चमार, आयु वयस्क, निवासी अम्बानगर निम्बाहेड़ा।
8. नगरपालिका निम्बाहेड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका निम्बाहेड़ा।
9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

— विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.</u>
<u>श्री ज्ञानमल धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित</u>

निर्णय　　　दिनांक 06.07.2022

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा कासोद की खाता संख्या 122 की आराजी नं. 568 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके गत सेटलमेन्ट अनुसार आराजी नं. 410/385 रकबा 0.42 एकड थे। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 21 की आराजी नं. 566 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके गत सेटलमेन्ट अनुसार आराजी नं. 414/393/385 रकबा 0.8000 एकड थे। यह आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजीयात का सेटलमेन्ट पूर्व के नक्शे में सही रूप से प्रार्थी संख्या 1 की आराजीयात के पूर्व दिशा में स्थित थी जिसके पुराने आराजी नं. 410/385 थे जिसको नए सेटलमेन्ट में वर्तमान नक्शे में छोटा कर दिया है और उक्त आराजी को स्थान परिवर्तन दक्षिणी पूर्वी कोने पर गलत रूप से तरमीम कर दिया है जिसको नक्शा ट्रेस में सही तरमीम किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 कंचन देवी की सेट[illegible] 414/393/385 उत्तर दिशा में स्थित थी जिसको राजस्व कर्मचारिय[illegible]ी से सेटलमेन्ट में गलत रूप से तरमीम कर दिया है तथा उ[illegible]/385 के उत्तर दिशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

1

में स्थित थी उसको वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम कर दिया गया है। प्रार्थीगण का व विपक्षीगण का पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार कब्जा चला आ रहा है जिसे सही किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम का आदेश प्रदान करावें। प्रकरण पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त कर दिया गया था। माननीय अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर में प्रथम अपील संख्या 4/2017 निर्णय दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से न्यायालय हाजा के पूर्ण निर्णय को निरस्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं नक्शा ट्रेस, पटवारी हल्का व तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर नये सिरे से निर्णय किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजीयात पुराने नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शे में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण के गत रेकार्ड व वर्तमान रेकार्ड में अन्तर होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। साथ ही संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो स्वीकार योग्य है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण ने हकत्याग पत्र दिनांक 17.08.2015, नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 ग्राम कासोद की खाता संख्या 122, 21, 27 नकल जमाबन्दी संवत 2065–68 ग्राम कासोद की खाता संख्या 18, 31, 164 मिलान क्षेत्रफल ग्राम कासोद, नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 ग्राम कासोद की खाता संख्या 8, 165, 206, नकल जमाबन्दी संवत 2065–68 ग्राम कासोद की खाता संख्या 38, 137, 173 की प्रतिया प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज होना सही अंकित किया गया है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार गत रेकार्ड के नक्शे जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने से गत रेकार्ड का अवलोकन किया जाना सम्भव नहीं है जबकि वर्तमान रेकार्ड में तरमीम गलत होना स्वीकार करते हुए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थीगण के वर्तमान कब्जे व तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिर्पोट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके मौजा कासोद की प्रश्नगत आराजीयात में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं–

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	565	0.25	उदयलाल, छगनलाल, रोशनलाल पिता जगन्नाथ चमार सा. देह	565मी उत्तर	0.25	उदयलाल, छगनलाल, रोशनलाल पिता जगन्नाथ चमार
				565 दक्षिण	0.30	कंचन देवी पत्नी भगवतीलाल खटीक, निवासी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

2	566	0.32	कंचन देवी पत्नी भगवतीलाल खटीक निवासी कपासन	566 उत्तर पश्चिम 566 दक्षिण	0.02 0.30	कंचन देवी पत्नी भगवतीलाल खटीक, निवासी कपासन राधेश्याम पिता गिरधारीलाल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा
3	567	0.48	राधेश्याम पिता गिरधारीलाल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा	567 उत्तर 567 मध्य	0.07 0.16	राधेश्याम पिता गिरधारीलाल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा श्रीमती किरण पत्नी रामचन्द्र भाम्बी, सा. देह
4	568	0.17	भगवतीलाल पिता प्यारा खटीक, सा. देह	568 उत्तर	0.06	भगवतीलाल पिता प्यारा खटीक, निवासी कपासन
5	567 / 594	0.41	किरण देवी पत्नी रामचन्द्र भाम्बी, सा. देह	567 / 594 उत्तर 567 / 594 मध्य	0.11 0.25	राधेश्याम पिता गिरधारीलाल खटीक निवासी निम्बाहेड़ा श्रीमती किरण पत्नी रामचन्द्र भाम्बी, सा. देह
6	568 / 605	0.25	नगरपालिका निम्बाहेड़ा (राज्यहित)	568 / 605 उत्तर 567 / 594 मध्य	0.14 0.25	नगरपालिका निम्बाहेड़ा (राज्य हित) भगवतीलाल पिता प्यारा खटीक सा. कपासन
7	562	0.07	नगरपालिका निम्बाहेड़ा (राज्यहित)	562	0.18	नगरपालिका निम्बाहेड़ा (राज्यहित)

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रस्तावित संशोधन में लाल स्याही से अंकित संशोधन अनुसार तरमीम की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 06.07.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

(... भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा